संख्या– ✓ /X–2–2018–12(32)2014

प्रेषक,

डॉ0 धीरज पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 08 अगस्त, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–27 की "वर्षा जल संरक्षण योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–नि0 116/3–5(वर्षा जल संरक्षण) दिनांक 17.07.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना "वर्षा जल संरक्षण योजना" हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹150.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0–1270/X–2–2018–12(32)2014 दिनांक 16.06.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹105.00 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान में अवशेष धनराशि में से ₹25.00 लाख (रुपच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों में से किसी भी कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो तथा वृहद् निर्माण कार्यो को लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु कार्यों के पृथक–पृथक टुकड़े न किए जाय। सर्वप्रथम गत वर्ष के चालू/अवशेष कार्य पूर्ण किए जाय। तदोपरान्त ही नये कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाए।
2. इसी प्रकार की योजना अन्य विभागों में भी संचालित है। अतः योजना के कार्य अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कराए जाए, ताकि कार्यों की Duplicity न हो।
3. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के आदेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये तथा धनराशि का आहरण करने से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण और औचित्य पर सक्षम स्तर से निर्णय कर लिया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से अनुमानित लागत की सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिस हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराया जाता है, तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
5. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर की अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जाएगा।
8. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्वियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
10. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में उत्पन्न न हो।
11. विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित कार्यों का स्पष्ट विवरण (प्रभागवार भौतिक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट सहित) एवं उक्त कार्यों के सापेक्ष प्राप्त लाभदायक परिणामों के सम्बन्ध में मूल्यांकन आख्या विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि को अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा।

2— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018—19 में स्वीकृत आय—व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या—27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2406—वानिकी तथा वन्यजीवन 01—वानिकी, 101—वन संरक्षण विकास एवं सम्पोषण, 11—वर्षा जल संरक्षण योजना के मानक मद 25—लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट ID संख्या— S1808270034 दिनांक 06/08/2018 संलग्न है।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0—519/3(150)—2017/XXVII(1)/2018 दि0 02.04.2018 के सन्दर्भ में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या— 1776 /x—2—2018—12(32)2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. वित्त अनुभाग—4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उपसचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **1776/X-2-2018-12(32)2014**

अलोटमेंट आई डी - **S1808270034**

अनुदान संख्या - **027**

आवंटन पत्र दिनांक -06-Aug-2018

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन — 01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण

11 - वर्षा जल संरक्षण योजना (2406-01-800-45 से स्थानान्तरित)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघु निर्माण कार्य	10500000	2500000	13000000
	10500000	**2500000**	**13000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2500000